

20/6/18

राजस्व लोक अदायत अभियान
"न्याय आपके द्वार-2018"

राजस्व लोक अदायत अभियान
 के अन्तर्गत 2018-19 के लक्ष्य को पूरा करने
 के लिए राजस्व अधिकारियों को निर्देशित किया
 गया है कि वे अपने क्षेत्रों में निम्नलिखित
 कार्यवाही करें -
 1. राजस्व अधिकारियों को निर्देशित किया
 गया है कि वे अपने क्षेत्रों में निम्नलिखित
 कार्यवाही करें -
 2. राजस्व अधिकारियों को निर्देशित किया
 गया है कि वे अपने क्षेत्रों में निम्नलिखित
 कार्यवाही करें -
 3. राजस्व अधिकारियों को निर्देशित किया
 गया है कि वे अपने क्षेत्रों में निम्नलिखित
 कार्यवाही करें -
 4. राजस्व अधिकारियों को निर्देशित किया
 गया है कि वे अपने क्षेत्रों में निम्नलिखित
 कार्यवाही करें -
 5. राजस्व अधिकारियों को निर्देशित किया
 गया है कि वे अपने क्षेत्रों में निम्नलिखित
 कार्यवाही करें -
 6. राजस्व अधिकारियों को निर्देशित किया
 गया है कि वे अपने क्षेत्रों में निम्नलिखित
 कार्यवाही करें -
 7. राजस्व अधिकारियों को निर्देशित किया
 गया है कि वे अपने क्षेत्रों में निम्नलिखित
 कार्यवाही करें -
 8. राजस्व अधिकारियों को निर्देशित किया
 गया है कि वे अपने क्षेत्रों में निम्नलिखित
 कार्यवाही करें -
 9. राजस्व अधिकारियों को निर्देशित किया
 गया है कि वे अपने क्षेत्रों में निम्नलिखित
 कार्यवाही करें -
 10. राजस्व अधिकारियों को निर्देशित किया
 गया है कि वे अपने क्षेत्रों में निम्नलिखित
 कार्यवाही करें -

राजस्व अधिकारी एवं
सहायक कलेक्टर
राजपुरा

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, शाहपुरा जिला भीलवाड़ा (राज.)

पीठासीन अधिकारी : श्री के. आर. धारव, B.A.S.

88/2018

प्रकरण संख्या

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट, 1956

उपनाम

दी रसुत खसरा निलवाडी करिये

- प्रार्थी/प्रार्थीगण

बनाम

दी रसुत खसरा निलवाडी करिये

- विपक्षी/विपक्षीगण

उपस्थित :-

निवासी - राव
श्री. रसुत खसरा निलवाडी करिये

निर्णय

दिनांक 20/6/18

प्रार्थी/प्रार्थीगण की ओर से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 के तहत विपक्षी/विपक्षीगण के प्रस्तुत किया गया, जिसके संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है :- प्रार्थी/प्रार्थीगण के ग्राम शाहपुरा/ जिला भीलवाड़ा में स्थित आराजी खसरा नम्बर 50 खसरा 10-695

कुल किता रकबा 0.695 हैक्टर का प्रार्थी/प्रार्थीगण खातेदार/संयुक्त खातेदार काशतकार है। वादग्रस्त भूमि के विपक्षी/विपक्षीगण पड़ोसी है। प्रार्थी/प्रार्थीगण एवं विपक्षी/विपक्षीगण के मध्य आराजी के सीमाचिन्ह नहीं होने से आये दिन सीमा संबंधी विवाद उत्पन्न होता रहता है अतः पत्थरगढ़ी कराई जावे।

प्रकरण पंजीबद्ध किया जाकर विपक्षी/विपक्षीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। विपक्षी/विपक्षीगण बावजूद सूचना उपस्थित नहीं होने से एक तरफा कार्यवाही की जाकर बहस अभिभाषक प्रार्थी/प्रार्थीगण सुनी गई। हमने पत्रावली का एवं प्रस्तुत खाते की नकल जमाबन्दी ग्राम संवत् 2070 से 2073 तक का अवलोकन किया उपरोक्त वर्णित आराजीयात के प्रार्थी/प्रार्थीगण खातेदार/संयुक्त खातेदार दर्ज होकर अपनी आराजीयात की पत्थरगढ़ी कराना चाहते हैं। अतः प्रार्थी/प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर मौजा में स्थित प्रार्थी/प्रार्थीगण की उपरोक्त खातेदार/संयुक्त खातेदारी की आराजीयात किता रकबा 0.695 हैक्टर की पुख्दा पत्थरगढ़ी पक्षकारान की मौजूदगी में अगर मौके पर अन्य कोई विवाद न हो व कोई प्रकरण न्यायालय में विचाराधीन न हो तो कब्जे में हस्तक्षेप नहीं करते हुए पत्थरगढ़ी किये जाने हेतु तहसीलदार शाहपुरा/ को कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। पत्थरगढ़ी हेतु कमिश्नर फीस रुपये कायम किये जाते हैं जो प्रार्थी/प्रार्थीगण से तहसीलदार शाहपुरा/ मौके पर प्राप्त करे। पत्थरगढ़ी मौका पर्चा पेश करे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तहसील दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 20/6/18 को सरे इजलास सुनाया गया।



प्रतिलिपि-तहसीलदार, शाहपुरा/ पास भेजकर लेख है कि प्रार्थी/प्रार्थीगण के पक्षकारान की मौजूदगी में नियमानुसार पत्थरगढ़ी की जाकर पालना रिपोर्ट शीघ्र भिजावे।

के. आर. धारव
उपखण्ड अधिकारी एवं

सहायक कलेक्टर

शाहपुरा (भीलवाड़ा)

के. आर. धारव
उपखण्ड अधिकारी एवं

सहायक कलेक्टर

शाहपुरा (भीलवाड़ा)